UPSR010012322022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–सौरभ सक्सेना , (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1753

सत्र वाद संख्या–271/2022

उत्तर प्रदेश राज्य –––––––अभियोगी/वादी।

बनाम

जितेन्द्र कुमार पुत्र गया प्रसाद उम्र–28 वर्ष निवासी–खैरी, दा०–नरायनजोत, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती। –––––––––विपक्षी/अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–14/2022
धारा–354, 504, 506 भा०दं०सं०
व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट
थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती।

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	श्री उमाकांत त्रिपठी, ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल)
अभियुक्त	जितेन्द्र कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी–खैरी, दा०–नरायनजोत, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती
प्रतिनिधित्व	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, एडवोकेट
घटना की तिथि व समय	27–12–2021, समय 00:00 बजे
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि व समय	15–01–2022, समय 16:40 बजे
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	01–04–2022
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	03–01–2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	24–01–2023
निर्णय की तिथि	10–06–2026

निर्णय

1– प्रस्तुत सत्र वाद थाना–इकौना की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श–क–7 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–14/2022 धारा–354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम पर प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त संस्थित हुआ है।

2– प्रस्तुत मामला लड़की/स्त्री के विरूद्ध लैंगिक अपराध से सम्बन्धित है। अतः **भारतीय न्याय संहिता की धारा–72(2)** में उल्लखित उपबन्धों एवं **ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(4) सुप्रीम 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य**

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.06.10 14:15:26 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

2008 (63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख न करते हुये निर्णय में उसे "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया जायेगा।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी श्याम प्रसाद पुत्र रंगीले वर्मा ने प्रभारी निरीक्षक थाना–इकौना को लिखित तहरीर प्रदर्श–क–1 इस आशय से दी कि वह दिनांक–27–12–2021 को अपने घर घरेलू समान खरीदने के लिए इकौना बाजार गया था। घर पर उसकी लड़की व दो छोटे–छोटे बच्चे मौजूद थे। उसके बच्चे खेलने के लिए घर के बाहर चले गये थे। घर पर उसकी लड़की पीड़िता अकेली थी। लड़की को अकेला पाकर विपक्षी जितेन्दग पुत्र नानबच्चा उर्फ गया प्रसाद व सोनू पुत्र गया प्रसाद ने आकर उसकी लड़की से प्रलोभन देकर अश्लील हरकत करते हुए उसकी लड़की को पकड़ लिया और बुरी नियत से उसके कपड़े खींचकर उतारने लगे। इतने में लड़की चिल्लाने लगी तब तक वादी बाजार से वापस दरवाजे पर पहुँच गया। वादी के आने की आहट पाकर विपक्षीगण घर के पीछे से दीवाल फांदकर भाग खड़े हुये। वादी से उसकी लड़की ने रो–रोकर सारी आप बीती बतायी।

4– वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–इकौना में अभियुक्तगण जितेन्द्र व सोनू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–क–3 धारा–354 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पंजीकृत हुयी तथा मुकदमें का खुलासा नकल जी०डी० प्रदर्श–क–4 में किया गया।

5– मामले की विवेचना निरीक्षक अजीत कुमार शुक्ला द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए एफ०आई०आर० लेखक, वादी मुकदमा व पीड़िता का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल की नक्शा–नजरी तैयार किया तथा पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचक ने पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में पीड़िता के शैक्षिक अभिलेख एकत्र किया एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचक ने पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में मेडिकल भी कराया गया। विवेचक ने पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया। विवेचक ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया। विवेचक ने अन्य गवाहान एवं डॉक्टर के बयान अंकित किये। विवेचक ने एफ०आई०आर० में नामित मुल्जिम सोनू की नामजदगी गलत पायी तथा बादहू पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा–354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श–क–7 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6– न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक–17–08–2022 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–03–01–2022 को अभियुक्त जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा–354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

7– राज्य की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्र० सं	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1–	पी०डब्लू०–1	श्यामता प्रसाद वर्मा	प्रथम सूचक
2–	पी०डब्लू०–2	पीड़िता	पीड़िता
3–	पी०डब्लू०–3	का० राजदेव यादव	एफ०आई०आर० लेखक
4–	पी०डब्लू०–4	डॉ० नासिर कमाल	चिकित्सक
5–	पी०डब्लू०–5	निरीक्षक अजीत कुमार शुक्ला	विवेचक
6–	पी०डब्लू०–6	राजेश कुमार	प्रधानाध्यापक

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान ने निम्नलिखित प्रदर्श को साबित किया हैः–

क्र० सं	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
1–	प्रदर्श–क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–1
2–	प्रदर्श–क–2	बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं०	पी०डब्लू०–2
3–	प्रदर्श–क–3	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्लू०–3
4–	प्रदर्श–क–4	कायमी जी०डी०	पी०डब्लू०–3
5–	प्रदर्श–क–5	मेडिकल रिपोर्ट	पी०डब्लू०–4
6–	प्रदर्श–क–6	घटनास्थल नक्शा-नजरी	पी०डब्लू०–5
7–	प्रदर्श–क–7	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–5
8–	प्रदर्श–क–8	मूल प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति	पी०डब्लू०–6
9–	प्रदर्श–क–9	जन्मतिथि प्रमाण पत्र	पी०डब्लू०–6

9– तत्पश्चात दिनांक–06–01–2026 को अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आदेश पत्रक पर "अभियोजन की ओर से अब कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है" का अंकन किया गया। जिस कारण अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

10– दिनांक–19–01–2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व झूठा बयान देना बताया और अभियोजन प्रपत्रों को गलत रूप से साबित करने का कथन किया। अभियुक्त ने आगे बताया है कि वादी मुकदमा श्यामता प्रसाद की पत्नी तीन वर्ष पूर्व बतौर

आसनाई व हरामखोरी कहीं गायब है, जिसका लांछन उसके ऊपर लगा है। इसलिए यह झूठा मुकदमा उसके विरूद्ध लिखाया गया है। पीड़िता ने अपने माता–पिता के दबाव में झूठा बयान दिया है। पीड़िता घटना से पूर्व 02 शादियां कर चुकी है अब तीसरी शादी किया है। अभियुक्त ने मुकदमा रंजिशन चलना बताया।

11– अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया था। परन्तु उक्त के बावजूद भी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सफाई साक्ष्य हेतु समय दिया गया है। परन्तु अभियुक्त की ओर से कोई सफाई साक्ष्य नहीं दिया गया। दिनांक–29–01–2026 को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर सफाई साक्ष्य न देने का अंकन किया गया। जिस कारण अभियुक्त के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

12– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा श्यामता प्रसाद वर्मा पुत्र रामरंग ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि “घटना आज से लगभग एक साल पहले की है। समय लगभग 05–06 बजे शाम की हैं जिस दिन की घटना है, उस दिन मैं इकौना बाजार सामान लेने गया था। घर पर मेरी लड़की पीड़िता और दो छोटे बच्चे मौजूद थे। जब मेरे दोनों छोटे बच्चे बाहर खेलने चले गये तब मेरी लड़की घर में अकेले थी। तभी विपक्षी जितेन्द्र जो मेरे गांव के ही रहने वाले है, ने मेरी लड़की का मोबाइल छीन लिया और मेरी लड़की के साथ गलत काम किया। तब मेरी लड़की ने शोर मचाया तब घर के अगल–बगल रहने वाले और मैं भी बाजार से वापस घर आ गया था। हम लोगों को आता देखकर विपक्षी मौके से पीछे की दीवाल फांदकर भाग गया। तब मेरी लड़की ने घटना की सारी बात हम लोगों से बतायी। घटना के 03–04 दिन बाद चौकी पर दरख्वास्त दी थी। चौकी पर मुकदमा नहीं लिखा गया। इसके बाद मैं थाने पर गया था और दरख्वास्त दी थी। घर के आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण थाने पर तुरन्त नहीं जा पाया था। साक्षी को कागज संख्या ए–3/3 दिखाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है, जिसे मैंने थाने पर दिया था। इस पर मेरे अंगूठे का निशान है, पहचान करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श–क–1** डाला गया। विपक्षी जितेन्द्र के साथ सोनू भी था। सोनू भी मेरे गांव का है। सोनू ने भी जितेन्द्र का सहयोग किया था। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

पी०डब्लू०–2 पीड़िता ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि “घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। समय करीब 4:30 बजे शाम का था। उस समय मैं घर पर थी और मेरे मम्मी पापा बाजार गये थे। घर पर मैं व

मेरा छोटो भाई था। मेरे दोनों छोटे भाई घर के बाहर खेल रहे थे और मैं अपने घर पर बर्तन धो रही थी। तभी विपक्षीगण जितेन्द्र और सोनू जो मेरे गांव के रहने वाले हैं, दीवाल कूदकर घर में घुस आये। विपक्षी जितेन्द्र बदनीयत से मेरा हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगे और सोनू मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिये थे और दो तीन तमाचा हमको मारे भी। तब मैंने किसी तरह से अपने मुंह से कपड़ा हटाया और जोर से चिल्लायी तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए जितेन्द्र मेरा मोबाइल और 10,000/– रूपये लेकर दीवार फांदकर भाग गये। मेरे चिल्लाने पर मेरे दोनों छोटे भाई रोने लगे। तब शोर सुनकर गांव के 02–03 लोग मौके पर आ गये। तब घटना के बारे में बताया। जब देर रात को मेरे मम्मी पापा वापस आये तब मैंने घटना की सारी बात अपने मां बाप से बतायी। घटना के दूसरे दिन चौकी पर पिता के साथ गयी थी। वहां मुकदमा नहीं लिखा गया था। घटना के 14–15 दिन बाद मैं अपने पिता के साथ थाने पर गयी थी। दरख्वास्त दिया था, जिस पर मेरा मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा लिख जाने के बाद पुलिस वालों ने मेरी डॉक्टरी करायी थी। जज साहब के यहां मेरा बयान हुआ था। साक्षी को बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० दिखाकर पढ़कर सुनाया गया तो पीड़िता ने बताया कि इस पर मेरा फोटो चस्पा है व निशानी अंगूठा है, पहचान करती हूँ। जिस पर **प्रदर्श–क–2** डाला गया। घटना के बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० प्रदर्श–क–2 में कथन किया है कि "घटना की तिथि मुझे याद नहीं। घटना गोधूलि के बेला की है। घटना को 15 दिन से ऊपर हो गए। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा मेरे बाजार चले गए थे। तीन भाई जो कि मुझसे छोटे हैं वह खेलने चले गए थे। मैं अपने घर में बर्तन धुल रही थी। जितेंद्र और सोनू मेरे घर में घुस आए। दीवाल कूदकर घर में घुस गए थे। जितेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ कर उमेठ (मोड़) दिया। कौन सा हाथ उमेठा था। पूछने पर अपना हाथ दिखाया जो कि दाहिना हाथ था। सोनू ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मेरे गाल पर 2–3 तमाचा मारा और कहा कि तुम्हें इसी घर में मार डालेंगे। सोनू ने मेरा सलवार व समीज फाड़ दिया था। चिल्लाकर सोनू कह रहा था कि तुम्हें मार देंगे। जितेंद्र कह रहा था कि तुम्हें गायब करा देंगे। जितेंद्र ने मेरा 10 हजार रुपए का मोबाइल छीन कर उठा ले गया। मोबाइल कंपनी का नाम नहीं पता। मेरा मोबाइल लाल रंग का था। मेरे साथ गलत काम नहीं हुआ था। किसी तरह मै चिल्लाई तो पट्टीदारी के कई लोग आ गए थे। फिर दोनों लोग भाग गए।"

पी०डब्लू०–3 कांस्टेबल राजदेव यादव ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–15–01–2022 को मैं थाना इकौना में

सी०सी०टी०एन०एस० कार्यलेख पर मौजूद था। उसी दिन वादी श्यामता प्रसाद वर्मा एक किता पूर्व लिखित हिन्दी तहरीर बनाम जितेन्द्र व सोनू के विरूद्ध लेकर थाना हाजा उपस्थित आया। प्रभारी निरीक्षक के हस्ब आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या–14/2022 धारा–354 भा०दं०सं० में कार्यलेख पर मौजूद हेड मोहर्रिर दीनानाथ यादव द्वारा तहरीर से अक्षरशः बोल–बोलकर मेरे द्वारा कम्प्यूटरीकृत कराया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–3/1 ता ए–3/2 मूल चिक है। जिस पर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर है, प्रमाणित करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया। इस मुकदमें की कायमी जी०डी० दिनांक–15–01–2022 समय 16:40 बजे मेरे द्वारा कम्प्यूटरीकृत किया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5 कायमी जी०डी० है, पहचान करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श–क–4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

पी०डब्लू०–4 डॉ० नासिर कमाल, डिप्टी सी०एम०ओ०, जनपद–बाराबंकी ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–19–01–2022 को मैं चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र इकौना के पद पर तैनात था। उसी दिन पीड़िता कल्पना पुत्री श्यामता प्रसाद निवासी खैरी नरायनजोत थाना इकौना को महिला कांस्टेबल करिश्मा थाना इकौना मेडिकल परीक्षण हेतु लेकर आयी थी। जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा स्टाप नर्स रोली सिंह एवं रिंकी इकौना की उपस्थिति में किया गया। महिला विवाहित थी लेकिन गौना नही। हुआ था। पिछली माहवारी चार महीने पहले आयी थी। पन्द्रह साल की उम्र में शुरू हुआ था जोकि आठ–से दस दिन हर महीने रहता है। पीड़िता के कथनानुसार दिनांक–27–12–2021 को पापा व मम्मी बाजार चले गये थे उसी समय जितेन्द्र उर्फ सोनू मेरे घर पर आकर मेरे साथ गलत काम किया। महिला की मानसिक स्थिति सामान्य परीक्षण नार्मल था एवं चेतना का स्तर कोन्सेस और ओरियन्टेड था। बी०पी० 110/70 एम०एम०/एच०जी० एवं नाड़ी की गति 82 प्रति मिनट था। महिला की ऊचाई 150 सेमी० एवं वजन 55 किग्रा० था। एक्जेलरी एवं प्यूबिक हेयर नार्मल थे। स्तन विकसित थे। घटना के बाद महिला ने वस्त्र बदल लिये थे एवं स्नान कर लिया था। महिला के अनुसार बताया गया कि उसके दाहिने अँगूठे में दर्द है। आन्तरिक परीक्षणः– मौन्सप्यूरिक, लेबियामेजोरा, लेबियामाइनोरा, बेस्टिब्यूल, पेरीनियम, गुदाद्वार (Anus), मूत्रवाहिनी, बेजीना, क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर फारचेट, फोस नेवीकुलेरिस, पेरियूरेथ्रल, सर्विक्स, योनि नार्मल थे। हाइमन old healed and torted थे। मेरे द्वारा Dried वेजाइनल स्लाइड फार स्पर्मेटोजोआ जाँच के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा एवं दो Dried vaginal swab एवं 3 ml. डी०एन०ए० एनालिसिस के लिए सील बन्द लिफाफे में एफ०एस०एल० महिला कान्टेबल को प्राप्त

कराया गया था। महिला की आयु निर्धारण के लिए रेडियोलाजिस्ट सी०डी०एच० भिनगा एवं सी०एम०ओ० श्रावस्ती को भेजा गया। उसके दाहिने हाथ के लिए एक्स रे के लिए सी०डी०एच० भिनगा के लिए भेजा गया था। महिला का प्रेग्रेंसी टेस्ट (लैब नं०–437 दिनांक–19–01–2022) को कराया गया था, जोकि निगेटिव था। There is no sign of use of force, No sign of Sexual Assault clinically however final Opinion result pending for F.S.L report. पत्रावली में संलग्न कागज संख्यझ ए–8/1 मेडिकोलीगल रिपोर्ट है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में हैं। जिसको मैं तसदीक करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।"

पी०डब्लू०–5 निरीक्षक अजीत कुमार शुक्ला, वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन महाराजगंज ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–16–01–2022 को मैं थाना इकौना में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन मु०अ०सं०–14/2022 धारा–354 भा०दं०सं० थाना इकौना जनपद श्रावस्ती की विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेशानुसार मुझ उपनिरीक्षक को सुपुर्द की गयी। उसी दिन पर्चा नं०–1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी श्यामता प्रसाद वर्मा के बयान का अंकन कर, वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही नक्शा–नजरी बनाया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6 नक्शा–नजरी है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। पहचान करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। दिनांक–17–01–2022 को पर्चा नं०–2 किता किया जिसमे महिला आरक्षी करिश्मा द्वारा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान का अवलोकन कर अंकन किया। दिनांक–18–01–2022 पर्चा नं०–3 किता किया जिसमें पीड़िता के मेडिकल प्रपत्रों का अवलोकन कर अंकन किया। पर्चा नं०–5 दिनांक–21–01–2022 किता किया जिसमें पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० का अवलोकन कर अंकन कर, पीड़िता का सुपुर्दगीनामा का अवलोकन कर व पैथालॉजी का अवलोकन कर अंकन किया। दिनांक–29–01–2022 पर्चा नं०–6 किता किया जिसमें पीड़िता के उम्र सम्बन्धी आयु प्रमाण पत्र का विद्यालय अभिलेख के अनुसार अवलोकन कर अंकन किया गया, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15–05–2006 होना पाया गया, का अंकन किया। दिनांक–10–02–2022 पर्चा नं०–7 किता किया जिसमें पीड़िता के उम्र सम्बन्धी प्रपत्रो का अवलोकन कर उक्त धाराओ के साथ–साथ धारा–504,506 भा०दं०सं० व 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रपत्र, अभियुक्त जितेन्द्र कुमार का बयान अंकन किया गया तथा न्यायालय से चौदह दिवस के रिमांड की याचना की गयी। दिनांक–23–02–2022, दिनांक–08–03–2022 व

दिनांक–21–03–2022 क्रमशः पर्चा नं०–8,9,10 माननीय न्यायालय में अभियुक्त के रिमांड के याचना का अंकन किया। दिनांक–25–03–2022 पर्चा नं०–11 किता किया जिसमें स्वतंत्र साक्षीगण केदारनाथ, सहजराम, अरूण कुमार, जवाहिर, रक्षाराम के बयान का अंकन किया। दिनांक–27–03–2022 पर्चा नं०–12 किता किया जिसमें स्वतंत्र साक्षीगण झुर्रे, ओमकार, राममनोहर, परागदत्त, ठाकुर प्रसाद, विद्याप्रकाश के बयान का अंकन किया। दिनांक–01–04–2022 पर्चा नं०–13 किता किया जिसमें वादी मुकदमा, अन्य गवाहों बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं०, निरीक्षण घटनास्थल एवं पीड़िता के आयु सम्बन्धी प्रपत्रो के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी खैरी, दा० नरायनजोत, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध मु०अ०सं०–14/2022 में धारा–354,504,506 भा०दं०सं० व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना इकौना जनपद श्रावस्ती में आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान जी पर प्रस्तुत किया। पत्रावली संलग्न कागज संख्या ए–4/1 ता ए–4/3 आरोप पत्र है, पहचान करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।"

पी०डब्लू०–6 राजेश कुमार, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय नरायन जोत, थाना–इकौना ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मेरे विद्यालय में पीड़िता संस्थागत छात्रा थी। सत्र 2012–2013 में कक्षा–2 में अध्ययनरत थी। मेरे विद्यालय के एस०आर० रजिस्टर के क्रमांक 2290 पर पीड़िता का नाम दर्ज है। जिसमें उसकी जन्मतिथि 12–05–2006 अंकित है। पीड़िता मेरे विद्यालय में केवल कक्षा–01 व 02 पढ़ी है। मूल प्रवेश रजिस्टर आज मैं न्यायालय पर लाया हूँ, जिसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–8 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या बी–10 पीड़िता का आयु प्रमाण पत्र है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसमें भी पीड़िता की जन्मतिथि 12–05–2006 अंकित है, प्रमाणित करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श–क–9** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

13– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

14– न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है किः–

(i)– क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी?

(ii)– क्या घटना दिनांक को अभियुक्त ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए गाली गुप्ता दिया तथा जान से मारने की धमकी दी?

15– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि शैक्षिक अभिलेखो के अनुसार पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी।

अभियुक्त ने पीड़िता के घर मे घुसकर उसके साथ छेड़खानी की तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के बयानो से घटना संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन गवाहान के बयान से घटना साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

16– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे रंजिशन फंसाया गया है। पीड़िता के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि विश्वसनीय नहीं है। पीड़िता के बयान समय–समय पर परिवर्तित होते रहे है और विरोधाभाष से भरे हैं। अभियोजन गवाहान के बयान विरोधाभाषी है। अभियोजन साक्ष्य से घटना साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

17– प्रथम विचारणीय बिन्दु इस आशय का है कि क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी। पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में पत्रावली में प्रवेश पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श–क–8 एवं जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रदर्श–क–9 संलग्न है। जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 15–05–2006 है। पीड़िता के उक्त शैक्षिक अभिलेखों को पी०डब्लू०–6 राजेश कुमार प्रधानाध्यापक ने साबित करते हुए बताया है कि पीड़िता ने उसके विद्यालय से कक्षा–1 व 2 की पढ़ाई की है। पीड़िता का नाम व पता प्रवेश रजिस्टर के क्रमांक 2290 पर दर्ज है। जिसमें उसकी जन्मतिथि 12–05–2006 अंकित है। साक्षी ने प्रवेश रजिस्टर की स्वप्रमाणित छायाप्रति को प्रदर्श–क–8 एवं स्वयं द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र को प्रदर्श–क–9 के रूप में साबित किया है। जिरह में पी०डब्लू०–6 ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जो मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान को संदिग्ध बनाता हो। तहरीर प्रदर्श–क–1 के अनुसार घटना दिनांक–27–12–2021 की है। इस प्रकार घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 15 वर्ष 07 माह 15 दिन होती है।

पी०डब्लू०–1 साक्षी श्यामा प्रसाद जो कि पीड़िता का पिता है, ने थाने पर दी गयी तहरीर प्रदर्श–क–1 में पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। इस साक्षी द्वारा दौरान जिरह बयान दिया गया है कि जब पीड़िता के साथ घटना हुयी थी उस समय उसकी उम्र 17–18 साल रही होगी। आगे यह भी बयान दिया है कि पीड़िता की तीसरी शादी इकौना में की है। घटना से पहले पीड़िता की सामूहिक विवाह में शादी हुयी थी। इससे पहले भी उसने पीड़िता की शादी की थी। पहले वाले लड़के से ही दोबारा सामूहिक विवाह समारोह में शादी हुयी थी। इससे पहले भी उसने पीड़िता की शादी की थी। डी०एम० साहब ने शादी में 50,000/– रूपया दिया था, लेकिन उसे यह पैसा नहीं मिला था। बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सामूहिक विवाह में किसी भी

लड़की की शादी तभी होती है जब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है।

पी०डब्लू०–2 पीड़िता ने दौरान मुख्य परीक्षा अपनी उम्र 20 वर्ष बतायी है। पीड़िता ने जिरह में कथन किया है कि वह कक्षा–5 तक पढ़ी है, स्कूल का नाम नहीं बता पायेगी, जिसमें वह पढ़ी थी। वह यह नहीं बता पायेगा कि वह कितने वर्ष कितने महीना, कितने दिन की है, लेकिन उसकी उम्र 30 वर्ष है। साक्षी का यह बयान 2025 में हुआ है, जबकि घटना सन् 2021 की है। इस प्रकार पीड़िता के बयान के अनुसार घटना की तिथि पर उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष होती है। पीड़िता ने जिरह के दौरान यह बयान दिया है कि उसकी तीसरी शादी मंबड़ता, इकौना में हुयी है। नरायन जोत प्राइमरी पाठशाला में पढ़ी है। वह 05–10 बार स्कूल गयी थी।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि पीड़िता केवल 4–5 बार स्कूल गयी थी। पीड़िता के अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 17–18 वर्ष रही होगी। जबकि दूसरे बयान के अनुसार घटना के समय उसकी आयु 26 वर्ष रही होगी। पीड़िता की तीन शादी भी हो चुकी हैं। ऐसे में पीड़िता के मात्र शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर उसकी उम्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। समस्त तथ्यों को देखा जाये तो निश्चित ही घटना की तिथि पर पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक रही होगी। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी।

18– क्या घटना दिनांक को अभियुक्त ने पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए गाली गुप्ता दिया तथा जान से मारने की धमकी दी?

बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा कथित घटना की तहरीर अत्यन्त विलम्ब से दी गयी है, ऐसे में अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

तहरीर प्रदर्श–क–1 के अनुसार घटना दिनांक–27–12–2021 की है। जबकि एफ०आई०आर० प्रदर्श–क–3 के अनुसार सम्बन्धित थाने पर घटना की तहरीर दिनांक–15–01–2022 को समय 16:40 बजे दी गयी है। इस प्रकार यह तथ्य परीलक्षित होता है कि घटना की तहरीर लगभग 18 दिन विलम्ब से दी गयी है। इस सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा बयान दिया गया है कि घटना के दूसरे दिन चौकी पर पिता के साथ गयी थी। वहां मुकदमा नहीं लिखा गया था। घटना के 14–15 दिन बाद वह अपने पिता के साथ थाने पर गयी थी। दरख्वास्त दिया था, जिस पर उसका मुकदमा लिखा गया था। पीड़िता ने जिरह में कथन किया है कि घटना के पश्चात जब उसके पापा इकौना बाज़ार से वापस आये तो रो–रोकर सारी बात बतायी। पापा अकेले थे। पुलिस चौकी सेमरी में है। सेमरी चौकी 10–12 मीटर दूर है, फिर कहा कि 7–8 गांव के बाद है। उस

दिन वह व उसके पापा चौकी पर गये थे, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया था। उसके पापा तीन दिन बाद इकौना जाकर मुकदमा लिखाये थे। जिस दिन उसका मुकदमा लिखा था, उसके दूसरे दिन महिला सिपाही ने उसका बयान लिया था।

इस प्रकार पीड़िता ने बयान दिया है कि घटना के पश्चात वह सम्बन्धित चौकी पर गयी थी, परन्तु उसका मुकदमा नहीं लिखा गया था। प्रायः यह देखा गया है कि पुलिस जल्दी किसी घटना की तहरीर लेने में आना–कानी करती है। ऐसे में प्रस्तुत प्रकरण में विलम्ब से दी गयी तहरीर से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पीड़िता के साथ घटित घटना संदेहास्पद है।

19– तहरीर प्रदर्श–क–1 के अनुसार अभियुक्त जितेन्द्र पर यह आरोप है कि वह वादी मुकदमा के घर में घुस गया और उसकी लड़की को पकड़ लिया। बुरी नियत से उसके कपड़े खींचकर उतारने लगा। इतने पर जब लड़की चिल्लाने लगी तब वादी मुकदमा बाजार से वापस दरवाजे पर पहुँच गया। उसके बाद अभियुक्त दीवाल फांदकर भाग गया।

पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने तहरीर प्रदर्श–क–1 को साबित करते हुए अभियोजन कथानक के समर्थन में बयान दिया है। साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया है कि पीड़िता के साथ जब घटना हुयी थी तब वह वहां मौजूद नहीं था। पीड़िता ने उसे घटना के बारे में बताया था। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है।

20– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा घटना की पीड़िता को बतौर पी०डब्लू०–2 परीक्षित कराया गया है। पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बयान दिया है कि "घटना आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले की है। समय करीब 4:30 बजे शाम का था। उस समय मैं घर पर थी और मेरे मम्मी पापा बाजार गये थे। घर पर मैं व मेरा छोटो भाई था। मेरे दोनों छोटे भाई घर के बाहर खेल रहे थे और मैं अपने घर पर बर्तन धो रही थी। तभी विपक्षीगण जितेन्द्र और सोनू जो मेरे गांव के रहने वाले हैं, दीवाल कूदकर घर में घुस आये। विपक्षी जितेन्द्र बदनीयत से मेरा हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगे और सोनू मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिये थे और दो तीन तमाचा हमको मारे भी। तब मैंने किसी तरह से अपने मुंह से कपड़ा हटाया और जोर से चिल्लायी तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए जितेन्द्र मेरा मोबाइल और 10,000/– रूपये लेकर दीवार फांदकर भाग गये। मेरे चिल्लाने पर मेरे दोनों छोटे भाई रोने लगे। तब शोर सुनकर गांव के 02–03 लोग मौके पर आ गये। तब घटना के बारे में बताया। जब देर रात को मेरे मम्मी पापा वापस आये तब मैंने घटना की सारी बात अपने मां बाप से बतायी।"

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० प्रदर्श–क–2 में कथन किया है कि "घटना की तिथि मुझे याद नहीं। घटना गोधूलि के बेला की है। घटना को 15 दिन से ऊपर हो गए। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा मेरे बाजार चले गए थे। तीन भाई जो कि मुझसे छोटे हैं वह खेलने चले गए थे। मैं अपने घर में बर्तन धुल रही थी। जितेंद्र और सोनू मेरे घर में घुस आए। दीवाल कूदकर घर में घुस गए थे। जितेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ कर उमेठ (मोड़) दिया। कौन सा हाथ उमेठा था। पूछने पर अपना हाथ दिखाया जो कि दाहिना हाथ था। सोनू ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मेरे गाल पर 2–3 तमाचा मारा और कहा कि तुम्हें इसी घर में मार डालेंगे। सोनू ने मेरा सलवार व समीज फाड़ दिया था। चिल्लाकर सोनू कह रहा था कि तुम्हें मार देंगे। जितेंद्र कह रहा था कि तुम्हें गायब करा देंगे। जितेंद्र ने मेरा 10 हजार रुपए का मोबाइल छीन कर उठा ले गया। मोबाइल कंपनी का नाम नहीं पता। मेरा मोबाइल लाल रंग का था। मेरे साथ गलत काम नहीं हुआ था। किसी तरह मै चिल्लाई तो पट्टीदारी के कई लोग आ गए थे। फिर दोनों लोग भाग गए।"

इस प्रकार साक्षी/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा व बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है।

पीड़िता के द्वारा दौरान जिरह बयान दिया गया है कि घटना के समय वह बर्तन मांज रही थी। उस समय घर में उसके छोटे भाई थे। जितेन्द्र दीवाल फांदकर आया था। दीवाल ढाई फुट उंची थी। दो लोग आये थे। दरवाजा नहीं लगा था। सोनू व जितेन्द्र आये थे। सोनू और जितेन्द्र सगे भाई हैं। अपने साथ हथियार नहीं लाये थे। दोनों लोग उसे पकड़कर कमरे के अन्दर ले गये। 02–03 थप्पड़ जितेन्द्र ने मारा था। सोनू गले से दुपट्ट खींच रहे थे। दोनों लोग गांव में ही रहते थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसे थे इसलिए वह चिल्ला नहीं पायी थी। उसके साथ छेड़खानी किया और कपड़ा फाड़ दिया। उसके साथ कोई बुरा काम नहीं किया था। इसके अलावा अन्य कोई घटना उसके साथ नहीं की थी। जब उसके पापा इकौना बाजार से मुंह अंधेरे वापस आये तो रो–रोकर सारी बात बतायी। इस प्रकार पीड़िता के द्वारा दौरान जिरह घटना का समर्थन किया गया है और ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है जो दौरान मुख्य परीक्षा दिये गये बयान को संदिग्ध बनाता हो। इस प्रकार पीड़िता ने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है।

21– बचाव पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त जितेन्द्र का पीड़िता की मां के साथ सम्बन्ध है, इसलिए पीड़िता पक्ष की ओर से झूठा मुकदमा जितेन्द्र के विरूद्ध किया गया है।

पीड़िता के पिता वादी मुकदमा द्वारा बयान दिया गया है कि सीमा देवी

उसकी पत्नी लगभग एक साल से उसके घर से गायब है, सीमा कहां है, किसके साथ है, उसे इसकी जानकारी नहीं है।

पी०डब्लू०–2 पीड़िता के द्वारा दौरान जिरह बयान दिया गया है कि घटना से पहले जितेन्द्र उसकी मां को भगाकर दिल्ली ले गये थे। घटना के दिन उसकी मम्मी बाजार गयी थी। यह कहना सही है कि उसकी मां सीमा चौधरी को जितेन्द्र भगा ले गया है और रखे है, यह उसके पिता को शंका है।

उपरोक्त बयानों को देखा जाये तो इस तथ्य से पीड़िता के साथ हुये अपराध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि अभियुक्त जितेन्द्र पीड़िता की मां को भगा ले गया है। यह तथ्य पीड़िता के साथ हुयी घटना से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे में उपरोक्त तर्क के आलोक में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा कायम कराया गया है।

22– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये का० राजदेव पी०डब्लू०–3 व निरीक्षक अजीत कुमार शुक्ला पी०डब्लू०–5 के द्वारा पुलिस प्रपत्रों को नियमानुसार साबित किया गया है।

पी०डब्लू०–4 डॉ० नासिर कमाल द्वारा पीड़िता की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श–क–5 को साबित करते हुए बयान दिया गया है कि किसी भी प्रकार के बल प्रयोग का लक्षण नहीं पाया गया और न ही पीड़िता के साथ सेक्शुअल एसाल्ट नहीं पाया गया था।

अभियुक्त पर पीड़िता के कपड़े फाड़ने व छेड़खानी करने का आरोप है, ऐसे में यदि पीड़िता की चिकित्सीय आख्या में किसी भी प्रकार के बल प्रयोग के लक्षण नहीं पाये गये हैं तो इससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद नहीं हो जाता है।

23– उपरोक्त समस्त साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी। अभियोजन द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त जितेन्द्र ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी या उसे गन्दी–गन्दी गालियां दी। इसके अतिरिक्त पीड़िता के द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त जितेन्द्र पीड़िता के घर में घुस आया और उसके कपड़े फाड़ दिया व उसके साथ छेड़खानी की।

24– उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात न्यायालय का यह विचारपूर्ण मत है कि अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप धारा–354 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप धारा–504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम संदेह से परे साबित नहीं हैं। अतः मामले के तथ्य एवं

परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को धारा–354 भा०दं०सं० दोषसिद्ध करते हुए धारा–504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम दोषमुक्त किया जाना उचित है।

आदेश

सत्र वाद संख्या–271/2022, मुकदमा अपराध संख्या–14/2022, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र गया प्रसाद को धारा–354 भा०दं०सं० दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र गया प्रसाद को उपरोक्त मामले में धारा–504, 506 भा०दं०सं० व धारा–7/8 पॉक्सो अधिनियम दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें उनके जमानत दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

दिनांक–10–06–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 10–06–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।

<u>लंच बाद</u>

पत्रावली पुनः पेश हुयी। पुकारा गया। दोषसिद्ध अभियुक्त जितेन्द्र कुमार जेरे हिरासत अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल उपस्थित है।

उभय पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस तर्क दिया है कि अभियुक्त गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। अभियुक्त की ओर से उसके घर का कोई भी पैरवी करने वाला नहीं है। अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, प्रथम अपराध है। अभियुक्त भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, उसे सुधरने का अवसर देते हुए कम से कम दण्ड किया जाये।

राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के कपड़े फाड़ने व छेड़खानी करने का आरोप साबित है। अतः अभियुक्त भविष्य में पुनः प्रश्नगत प्रकृति की घटना कारित न करे इसलिए दोषसिद्ध अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर धारा–354 भा०दं०सं० का अपराध साबित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध लड़की/महिला के विरूद्ध है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता और अनुपातिकता को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्ध जितेन्द्र कुमार को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता है।

<u>दण्डादेश</u>

सत्र वाद संख्या–271/2022, मुकदमा अपराध संख्या–14/2022, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती के प्रकरण में–

1– दोषसिद्ध अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को धारा–354 भा०दं०सं० के अन्तर्गत **03 (तीन) वर्ष** के सश्रम कारावास एवं मु० **10,000/–(दस हजार रूपये**) रूपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को **एक माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2– दोषसिद्ध द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

3– दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार श्रावस्ती प्रेषित किया जाये।

4– दोषसिद्ध अभियुक्त को निर्णय की तुरन्त प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जाये।

5– निर्णय की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुपालनार्थ जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को भेजी जाये।

दिनांक–10–06–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।

उपरोक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10–06–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।